राज्य योजना आयोग
मध्यप्रदेश

क्र. 1144/2011/रा.यो.आ./जि.यो. भोपाल, दिनांक 10-6-11

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः–जिला दीर्घ–कालीन योजना (Perspective Planning) 2012–17 एवं विकेन्द्रीकृत जिला योजना (Decentralized Planning) वर्ष 2012–13 बनाने हेतु दिशा–निर्देश ।

संदर्भः– राज्य योजना आयोग का पत्र क्र. 1000/2010/रा.यो.आ./जि.यो. भोपाल, दिनांक 17.06.2010

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके परिपालन में गत् वर्ष मध्यप्रदेश के समस्त 50 जिलों में विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाते हुए "समेकित" जिला योजना तैयार की गई जिसके लिए आप एवं आपके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। प्रदेश के त्वरित समावेशी विकास के लिए योजना में जन–सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली आज की आवश्यकता है। यह कार्य इस वर्ष भी जिला योजना 2012–13 हेतु सभी 50 जिलों में किया जाना है। विकेन्द्रीकृत जिला योजना वर्ष 2012–13 हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ, समय–सीमा, दिशा–निर्देश आदि उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुवृत्ति के रूप में सलंग्न हैं।

गत वर्ष कुछ जिलों एवं विभागों ने विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं व उन्हें विभिन्न स्तरों पर सराहा भी गया है। शासन स्तर पर समय–समय पर विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं आई टी एप्लीकेशन द्वारा प्राप्त परिणामों की समीक्षा की गई है। अभी पूरी प्रक्रिया के संचालन एवं गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में बहुत सुधार अपेक्षित है। **इस वर्ष से समुदाय द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं एवं विभागीय रिस्पांस प्लान के आधार पर ही जिलों की योजना सीमा निर्धारित की जावेगी।** गत् वर्ष की सीख एवं अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित पर अवश्य ध्यान देवें :–

- वर्ष 2011–12 की विकेन्द्रीकृत योजना में स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन एवं नियमित मॉनीटरिंग।
- विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली में समस्त वर्गो की भागीदारी सुनिश्चित हो।
- ग्राम द्वारा प्रस्तावित योजना का ग्राम सभा में अनुमोदन होना सुनिश्चित रहे।
- जनप्रतिनिधियों की विकेन्द्रीकृत नियोजन में भूमिका।
- समस्त डाटा की गुणवत्ता हेतु नियोजन प्रपत्र ध्यान से भरें जावें जैसे गतिविधि की इकाई,इकाई लागत, संबंधित योजना/क्षेत्रक से चिन्हांकित/लिंक करना आदि। साथ ही साफ्टवेयर में डाटा प्रविष्टि का कार्य त्रुटि रहित हों।
- जिला स्तर के संबंधित विभाग प्रस्तावित कार्यो का विश्लेषण कर रिस्पोंस प्लान (Response Plan) अवश्य बनाएं।

राज्य योजना आयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत एंव एकीकृत जिला योजना निर्माण को सफल बनाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देशो के अलावा एक विस्तृत मैन्युअल, विभिन्न प्रशिक्षण मोड्यूल, सोफ्टवेयर हेतु

विशेष मोड्यूल आदि को विकसित किया गया है ताकि विभिन्न मास्टर प्रशिक्षको, नियोजनकर्ताओ को प्रक्रिया की बारीकियाँ एवं समझ विकसित हो सके। राज्य योजना आयोग से आपको ओर भी अधिक प्रशिक्षण सामग्री एवं तकनीकि सहयोग वेबसाइट www.mp.gov.in/spb पर सुलभ संदर्भ एवं उपयोग हेतु उपलब्ध रहेगी।

इस प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला कलेक्टर की ही महत्वपूर्ण भूमिका है और जिला कलेक्टरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपने मार्गदर्शन में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तर/नगरीय वार्ड आदि नियोजन इकाईयों से योजनायें तैयार कराकर विभिन्न स्तरों पर समेकित करते हुए **"समेकित जिला योजना"** प्रारूप तैयार करायें और निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के उपरान्त **दिनाँक 01 अक्टूबर 2011** राज्य योजना आयोग को प्रेषित करेंगे। जिलों की समेकित जिला योजना को राज्य योजना आयोग में चर्चा उपरांत अंतिम रूप दिया जायेगा। मुझे विश्वास है कि वर्ष 2012–13 की विकेन्द्रीकृत एवं समेकित जिला योजना आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में और अधिक जन–उपयोगी बनेगी और आप प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में इस परिवर्तन को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

सलंग्नः– विकेन्द्रीकृत नियोजन 2012–13 हेतु दिशा निर्देश।

7/6/2011

(के.सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ.क. 1145/2011/रा.यो.आ./जि.यो./ भोपाल, दिनांक 10-6-11

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव ..... विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त आयुक्त .....संभाग
3. समस्त विभागाध्यक्ष ..... विभाग, भोपाल।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
5. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय सांख्यिकी कार्यालय..... संभाग
6. समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।
8. कार्यपालक निदेशक, म.प्र.जन अभियान परिषद।
9. समस्त अधिकारी .....राज्य योजना आयोग।

सलंग्नः– विकेन्द्रीकृत नियोजन 2012–13 हेतु दिशा निर्देश।

7/6/2011

(के.सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, भोपाल

जिला दीर्घ–कालीन योजना (Perspective Planning) 2012–17 एवं विकेन्द्रीकृत जिला योजना (Decentralized Planning) वर्ष 2012–13 बनाने हेतु दिशा–निर्देश

विकास के सूचकांको में राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचने के लिये मध्यप्रदेश राज्य को बेहतर विकास की दर हासिल करने की आवश्यकता है। त्वरित एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विकेन्द्रीकृत जिला योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में योजनायें ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसभा स्तर एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला/वार्ड समिति स्तर पर तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं में कार्यों का चयन स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से किया जाता हैं एवं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर समेकन किया जाता हैं। जिला एवं जनपद स्तरीय स्थानीय निकाय विगत वर्ष की तरह अपने स्तर पर जिलों में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की योजनाओं में नागरिकों द्वारा प्रस्तावित कार्यों का विश्लेषण कर उभर कर आई आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को ध्यान में रख नियोजन करेंगे। जिला योजना समिति, ग्रामीण एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को समेकित कर जिला योजना को अन्तिम रूप देगी।

केन्द्र प्रवर्तित व फ्लैगशिप कार्यक्रमों (MNREGS, SSA, NRHM, RKVY, ICDS, BRGF, RMSA etc.) के अर्न्तगत योजना बनाने के लिये ग्राम स्तरीय सहभागी (Participatory) योजना बनाकर संसाधनों के कनवर्जेंस का लक्ष्य रखा गया है। सभी कार्यक्रमों में अर्न्तक्षेत्रीय (Inter-Sectoral) सहयोग से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रावधान हैं। वर्तमान में सभी कार्यक्रमों की योजनायें अलग–अलग लागू करने वाले विभागों द्वारा बनवायी जा रही हैं। एकीकृत रूप से विकेन्द्रीकृत जिला योजना तैयार करने के लिये संस्थागत व्यवस्था एवं क्षमता वृद्धि करके जिलों की योजना तैयार करने से न केवल समय एवं संसाधनों की बचत होगी बल्कि कार्यक्रमों के मध्य समन्वय/कनवर्जेंस (Convergence) भी सुनिश्चित हो सकेगा।

महत्वपूर्ण विभागों एवं कार्यक्रमों के बीच समन्वय एवं सहभागिता दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये आपके जिलों में संचालित समस्त कार्यक्रमों की "समेकित जिला योजना " बनाई जायेगी। जिला योजना समिति के द्वारा अनुमोदित **समेकित जिला योजना** में से ही अन्य कार्यक्रमों यथा बी.आर.जी.एफ., आर.के.वी. वाय., एन.आर.एच.एम., एस.एस.ए. आदि की जिला स्तरीय योजनायें तैयार की जायेंगी।

पृष्ठभूमि

हमारा राष्ट्र मार्च 2012 में ग्यारवहवीं पंचवर्षीय योजना पूरी कर रहा है इसलिये जिलों और राज्यों के लिये यह जरूरी हो गया है कि वे बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (2012–17) के लिये और निकटस्थ वर्ष 2012–13 की जिला योजना/वार्षिक योजना के लिये समेकित दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करें।

शासन स्तर पर विकेन्द्रीकृत जिला योजना बनाने हेतु "समेकित जिला नियोजन मैन्युअल" तथा प्रशिक्षण मोड्यूल्ज तैयार किये गये हैं जिनकी प्रति मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग की वेबसाइट पर http://www.mp.gov.in/spb/ पर उपलब्ध है। प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि हेतु जिले इन्हें डाउनलोड कर आवश्यकतानुसार उपयोग में ले सकते हैं।

प्रस्ताव है कि समेकित जिला दीर्घकालीन योजना 2012–17 के लिये और निकटस्थ 2012–13 से लेकर 2016–17 तक के समेकित दीर्घकालीन योजना तैयार करने के लिये उन्हीं सिद्धान्तों और प्रकियाओं का अनुसरण किया जाये। समेकित विकेन्द्रीकृत जिला योजना की संस्थागत सरंचना और प्रक्रियाएं नीचे दिशानिर्देश के रूप में संक्षेप में दिये जा रहे हैं।

यहां यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि इन दिशानिर्देशों का सम्बन्ध सिर्फ उन गतिविधियों से है जिन्हें 2012–13 की जिला दीर्घकालीन योजना और वार्षिक योजना को तैयार करने के लिये हाथ में लिये जाने की जरूरत है। **आगे की वार्षिक योजनाओं की तैयारी के लिये दिशानिर्देश अप्रैल 2012 में जारी किये जायेंगे। इनमें अनुमोदित योजनाओं के काम में कितनी प्रगति हुई है इसकी समीक्षा की प्रकियाएं भी शामिल होंगी।**

समेकित विकेन्द्रीकृत योजना को आच्छादित करने वाला ढांचा

- योजना और जिला दृष्टि (District Vision) का उद्देश्य होगा कि जिले में अच्छे अभिशासन में बढ़ोतरी हो और साथ ही सरकारी सेवाएं भी सकारात्मक ढंग से सक्रिय हों।
- इस योजना पर नागरिकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वामित्व होगा और यह सहभागिता तथा व्यापक परामर्श के जरिये तैयार किया जायेगा ताकि जिला योजना समिति द्वारा तय की गयी जिला दृष्टि पूरी हो सके।
- योजना नतीजे (outcome) पर केन्द्रित होगी और राष्ट्रीय तथा विकास के लक्ष्यों को उपलब्ध करने का प्रयास करेगी जो समयबद्ध तरीके से मानव विकास को बढ़ावा दें।
- योजना विभागीय गतिविधियों का कनवर्जेन्स (convergence) करके तैयार की जायेगी ताकि वह जिला योजना समिति के द्वारा तय की गयी जिला दृष्टि के अनुरूप बन सके।
- योजना जिले की महिलाओं, बच्चों, वंचित वर्गो आदि की खास जरूरतों का ध्यान रखते हुए बनायी जायेगी।
- योजना ऐसी बनायी जाएगी जो जिले के भीतर के विभिन्न इलाकों की भिन्न स्थितियों का भी ख्याल रखे।

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिला दृष्टि और योजनाएं इस प्रकार तैयार की जायें कि वे नतीजे हासिल कर सकें। ये नतीजे ऐसे राष्ट्रीय या विकासात्मक लक्ष्य हो सकते हैं जो मानव विकास को बढ़ावा देते हैं। यह हो सकता है कि जिले ऐसे नतीजे अपना सकते हैं जो मिलेजुले हों। उदाहरणार्थ नीचे कुछ संभव नतीजे दिये गये हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। जिले इन्हें अपनाने के लिये स्वतंत्र हैं तथा वे अपने खुद के नतीजे भी विकसित कर सकते हैं –

- भारत/राज्य में पहला गरीबी मुक्त (बीपीएल कार्ड मुक्त) जिला (आजीविका, कौशल विकास और उद्योगों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं से लाभ प्राप्त होने पर)
- जिले में हर घर के लिये टिकाऊ जल सुरक्षा (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और जे एन राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीनीकरण मिशन के जरिये)
- 0–6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण और शिशु मृत्युदर में पर्याप्त अनुपात में कमी (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास सेवाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में समन्वय/ कनवर्जेन्स करके)
- खुले में शौच से मुक्त जिला (समग्र स्वच्छता अभियान और राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता कार्यक्रम में समन्वय/ कनवर्जेन्स करके)
- सभी के लिये आवास (इन्दिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में समन्वय से)

ये नतीजे पूरे जिले के लिये हो सकते हैं और इनमें शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके सम्मिलित हो सकते हैं।

विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु संस्थागत सरंचना एवं भूमिका

प्रदेश में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की गई है। :–

राज्य योजना आयोगः

जिलों को "समेकित जिला नियोजन", मैन्युअल, सॉफ्टवेयर की तकनीकी सहायता एवं आवश्यक संसाधन राज्य योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें। राज्य योजना आयोग नीचे लिखी गतिविधियों के लिये उत्तरदायी रहेगा :

- राज्य में जिले की योजना बनाने की पूरी प्रक्रिया का समन्वय
- संसाधन का आकंार तय किया जाना

- जिलों में उपयोग किये जाने के लिये मानक उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सामग्री का विकास
- जिलों में उपयोग किये जाने के लिये मानक प्रतिमानों, दिशा–निर्देशों और नियमावलियों का विकास
- नियोजन प्रकिया पर विहंगम दृष्टि
- डाटा प्रविष्टि एवं रिस्पोंस प्लान हेतु बहुआयामी सॉफ्टवेयर/वेबसाइट की व्यवस्था

राज्य के सरकारी विभाग:

राज्य में जिले की योजना बनाने की प्रकिया की सफलता को सुनिश्चित करने में सरकारी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सरकारी विभाग अपने नियोजन अधिकारियों को उन्मुखीकरण सत्रों में शामिल होने के लिये भेजेंगे और जिले के अपने कर्मचारियों को निर्देश देंगे कि वे प्रकिया में भाग लें ताकि एक ऐसी समग्र और समेकित जिला योजना तैयार की जा सके जिसमें उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी केन्द्रीय और राज्य के द्वारा चलायी जा रही योजनाएं आ जायें।

जिला योजना समिति:

विगत वर्ष की तरह जिला स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण निकायों के मध्य संसाधनों का आवंटन कर क्षेत्रकवार उप समितियाँ बनायी जायेंगी। जिले में विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया को जिला योजना समिति संचालित करेगी। नियोजन की प्रक्रिया के दौरान जिले में सेक्टर बनाकर जिला/जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से पर्यवेक्षण कराया जावेगा। ग्रामीण एवं नगरीय निकायों से प्राप्त योजना प्रस्तावों का समेकन करके जिला योजना को अंतिम रूप देगी। जिला योजना का अनुमोदन करके राज्य योजना आयोग को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी। कार्यपालन समिति समस्त कार्यों को समय पर पूरा कराना सुनिश्चित करेगी।

ग्रामीण क्षेत्र:

जिला पंचायत: ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये "**जिला स्तरीय नियोजन दल**" (Rural Planning Group- RPG) का गठन किया जायेगा। जिला पंचायत विभिन्न योजनांतर्गत विकेन्द्रीकृत जिला योजना बनाने के लिये उपलब्ध संसाधनों के मध्य समन्वय करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की योजना बनाने के कार्य को उचित सहयोग प्रदान करेगें। जिला स्तरीय नियोजन दल, जनपद स्तरीय नियोजन दल को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगा तथा जनपद स्तरीय योजनाओं को समेकन करके जिला योजना समिति को प्रस्तुत करेगा।

जनपद पंचायतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के नेतृत्व में **"जनपद स्तरीय नियोजन दल"** (Block Planning Group- BPG) का गठन किया जावेगा। इसी दल में से प्रशिक्षण प्रदान करने में दक्ष 4–5 सदस्य जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा ग्राम पंचायत स्तरीय "तकनीकी सहायता दल" को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ग्राम स्तरीय नियोजन प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षण रखेगें एवं समय पर कार्यवाही पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही पंचायतों की योजनायें प्राप्त कर डाटा एन्ट्री की व्यवस्था करेगी एवं समेकन कर जनपद पंचायत से अनुमोदन करावेंगे।

ग्राम पंचायतः ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य ग्राम सभा स्तरीय नियोजन के लिये आवश्यक वातावरण निर्माण एवं ग्राम सभाओं से प्राप्त योजनाओं का समेकन करना हैं। ग्राम पंचायतों को नियोजन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिये तालिका में दिये अनुसार "तकनीकी सहायता दल" (Technical Support Group- TSG) का गठन किया जावेगा। दल में प्रत्येक क्षेत्रक का यथासंभव एक प्रतिनिधि रखा जावेगा। इस प्रकार प्रत्येक दल में 4 से 6 सदस्य हो सकते हैं। एक दल 2 से 3 ग्राम पंचायतों के समूह (Cluster) को सहायता उपलब्ध करायेगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पंचायतों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। तकनीकी सहायता दल में स्थानीय स्तर पर सक्रिय NGOs, MPRLP, DPIP, जनअभियान परिषद, स्वयंसेवी, कार्यकर्ताओं आदि को भी शामिल किया जा सकता है।

तकनीकी सहायता दल ग्राम सभा स्तर पर पंचायत पदाधिकारियों के सहयोग से नियोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ करायेंगे। ग्राम स्तरीय नियोजन दल को नियोजन की प्रक्रिया एवं विभिन्न क्षेत्रकों के कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायेंगे ताकि ग्राम सभा योजना तैंयार कर सके। ग्राम सभा से तैयार होने वाले योजना प्रारूप को उपलब्ध करायेंगे एवं अनुमोदित योजना ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचवाना सुनिश्चित करेंगे।

तालिका–1

क्र	क्षेत्रक	विभाग	क्षेत्रकवार प्रतिनिधी जो TSG के सदस्य
1	**शिक्षा**	स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा	जनशिक्षक/संकुल समन्वयक इत्यादि
2	**स्वास्थ्य एवं पोषण**	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	ए.एन.एम/एम.पी.डब्ल्यू /आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास इत्यादि
3	**आजीविका**	कृषि उद्यानिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं डेयरी, ग्रामोद्योग, उद्योग, सामाजिक न्याय, जल संसाधन, मत्स्यपालन, हथकरघा, सहकारिता, रेशम, योजना, अनुसूचित	कृषि विस्तार अधिकारी / अतिरिक्त विकास विस्तार अधिकारी / उप वन क्षेत्रपाल इत्यादि

क्र	क्षेत्रक	विभाग	क्षेत्रकवार प्रतिनिधी जो TSG के सदस्य
		जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग	
4	**अधोसंरचना प्रबंधन**	लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा, योजना	ग्रामीण यांत्रिकी/लोक निर्माण/ सिंचाई/ नरेगा इत्यादि विभाग से उपयंत्री अथवा उप वन क्षेत्रपाल
5	**उर्जा, ईधन तथा वैकल्पिक उर्जा**	ऊर्जा, ग्रामीण विकास, वन, ऊर्जा विकास निगम	TSG के अंतर्गत आजीविका क्षेत्रक में सम्मलित रहेगा।
6	**नागरिक अधिकार संरक्षण**	भू–सुधार, सामाजिक न्याय श्रम, महिला एवं बाल विकास, राजस्व	TSG के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्रक में सम्मलित रहेगा।

ग्राम सभाः ग्राम सभा स्तर पर नियोजन की कार्यवाही "ग्राम विकास समिति " द्वारा संचालित की जायेगी। यदि किसी ग्राम सभा के लिये ग्राम विकास समिति सक्रिय नहीं है तो व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अस्थाई समिति के रूप में "ग्राम स्तरीय नियोजन समिति" का गठन कर नियोजन प्रक्रिया का संचालन कर सकती है। ग्राम स्तरीय समुदाय आधारित संस्थाओं (NGOs/CBOs) जैसे स्वयं सहायता समूह, पालक शिक्षक संघ, वन समिति इत्यादि जो ग्राम सभा के अंतर्गत हैं को भी नियोजन हेतु विचार विमर्श में सम्मलित किया जाना चाहिये। साथ ही ग्राम स्तर पर कार्यरत शासकीय एवं गैर–शासकीय कार्यकर्ताओं जैसे जन शिक्षक, वन रक्षक, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी नियोजन में सम्मलित किया जाना चाहिये।

ग्रामीण विकेन्द्रीकृत नियोजन संरचनात्मक रेखाचित्र

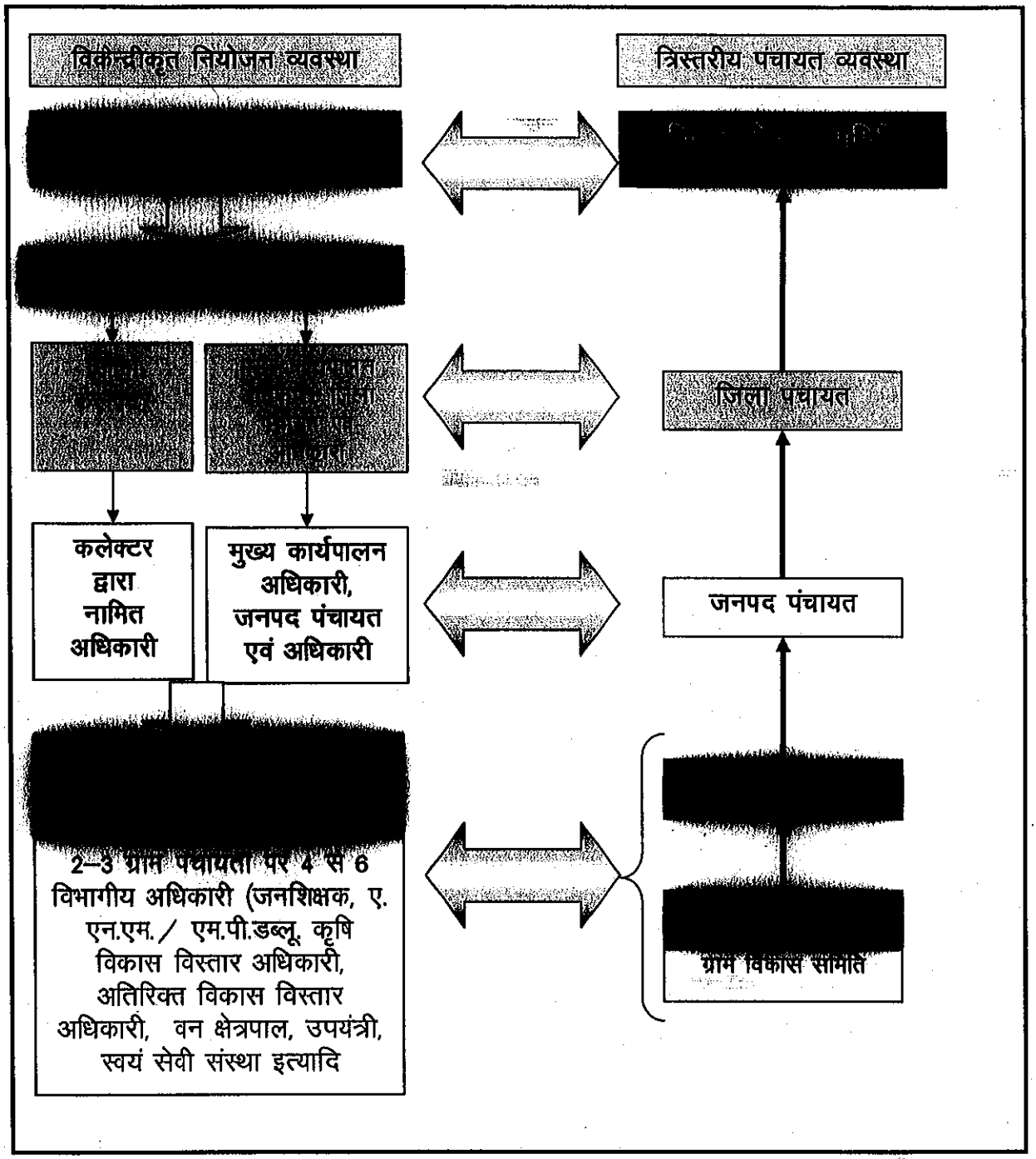

शहरी क्षेत्रः

जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल :

शहरी क्षेत्रों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल (Urban Planning Group- UPG) बनाया जायेगा जिसके संचालन में जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) की मुख्य भूमिका होगी । नगरीय क्षेत्रों में संचालित विभिन्न सेवाओं एवं अधोसंरचनात्मक कार्यों के संचालन करने वाले विभागीय अधिकारीयों एवं स्वंयसेवी संस्थाओं को सम्मिलित करके दल का गठन किया जायेगा। निकायों की योजनायें जिला योजना समिति को प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।

नगरीय निकाय स्तरीय नियोजन दल :

प्रत्येक नगरीय निकाय में नियोजन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये नियोजन दल (BPG) का गठन किया जावेगा जिसमें नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़े हुये विभागों के अधिकारीयों को सम्मिलित किया जावेगा। स्थानीय स्तर पर सकिय स्वंयसेवी संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। यह दल निकाय स्तर पर वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल को प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध करायेगा। वार्ड स्तरीय योजनाओं का समेकन करके नगरीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

नगरीय वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल (TSG) :

2 से 3 वार्डो पर संचालन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं नियोजन की कार्यवाही को पूर्ण कराने के लिये स्थानीय अधिकारियों/स्वयंसेवी/सामाजिक कार्यकर्ता का तकनीकी सहायता दल गठित किया जायेगा। यह दल मोहल्ला स्तरीय समितियों के साथ समन्वय कर नियोजन की प्रकिया को पूर्ण करायेंगे एवं इन योजनाओं को समेकन करके वार्ड स्तरीय योजना तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे।

शहरी विकेन्द्रीकृत नियोजन संरचनात्मक रेखाचित्र

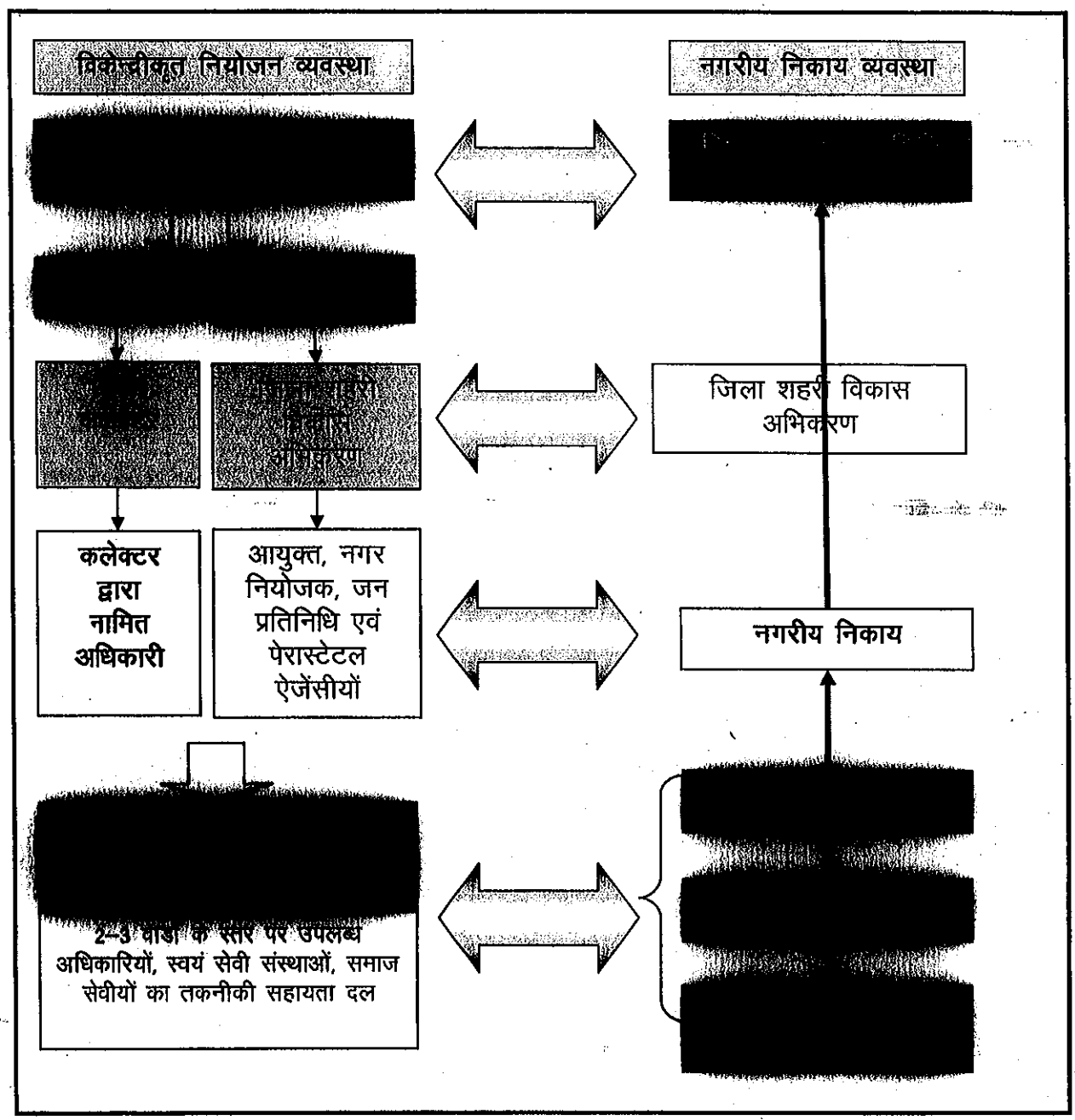

विकेन्द्रीकृत योजना बनाने की प्रक्रियाएँ

राज्य स्तर

- जिला योजना समितियों, जिला पंचायत के अध्यक्षों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और जिला योजना अधिकारियों के उन्मुखीकरण के बाद समेकित जिला नियोजन प्रक्रिया की शुरूआत राज्य स्तर पर की जायेगी। प्रत्येक संभाग के लिये भोपाल (अथवा संभाग स्तर) पर में एक उन्मुखीकरण सत्र का अयोजन किया जायेगा। विभागों से अपेक्षा है कि वे नियोजन गतिविधियों के लिये उत्तरदायी अपने अधिकारियों को इनमें शामिल रहने के लिये आदेशित करें।
- राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों का एक दल स्थापित किया जाएगा। यह दल जिले की योजना बनाने की प्रक्रिया के लिये समुचित उन्मुखीकण और प्रशिक्षण सामग्री तैयार करेगा।
- जिला और उप–जिला स्तर पर प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण गतिविधियों के लिये क्षमता निर्मित करने हेतु जिला मास्टर प्रशिक्षकों के लिये उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा। उन्मुखीकरण सत्र 30 – 40 प्रतिभागियों के दल के लिये आयोजित किये जायेंगे। ये प्रतिभागी एक संभाग के जिलों से लिये जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बुनियादी सिद्धान्त, ढांचे और प्रकियाएं राज्य भर में संयुक्त रूप से साझा की जाएंगी और स्पष्ट की जाएंगी।
- प्रत्येक जिले के लिये संसाधन तय किये जायेंगे और उनकी सूचना दी जायेगी। इन संसाधनों में राज्य की निधियों, राज्य वित्त आयोग के अधिनिर्णय, प्रत्येक जिले के लिये केन्द्रीय सरकार की निधियां निहित रहेंगी। इन्हें हर नियोजन इकाई के लिये बांटने के लिये दिशानिर्देश भी विकसित किये जायेंगे और उनकी सूचना दी जायेगी। मानक डेटा संग्रह और योजना के प्रतिमान (templates) सभी जिलों के लिये तैयार किये जाएंगे और प्रसारित किये जाएंगे।
- इसी प्रकार जिला योजना के लिये एक प्रतिमान तैयार किया जायेगा और सभी जिलों को प्रसारित किया जायेगा। संदर्श योजना का प्रतिमान विभिन्न विभागों, कार्यक्रमों और योजनाओं के लिये मौजूदा जिला योजना को समुचित रूप से प्रतिबिम्बित करेगा।
- योजना की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये राज्य मीडिया में पाक्षिक रूप से विज्ञापन दिये जायेंगे।
- जिला योजना समूहों के प्रतिनिधियों और जिला योजना अधिकारियों के साथ मासिक प्रगति मानीटरिंग (monitoring) बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

- जिला योजना की प्रक्रिया पूरी होने पर, 2012–13 के लिये संदर्शी योजना और वार्षिक योजना, राज्य योजना आयोग के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की जाएगी।
- अनुमोदित जिला योजनाओं को राज्य की संदर्शी योजना 2012–17 में और 2012–13 की वार्षिक योजना में शामिल किया जाएगा।

जिला स्तर

- समेकित विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन प्रक्रिया की अगुआई जिला योजना समिति द्वारा की जायेगी और उसे जिला योजना कार्यालय, जिले के सरकारी विभागों, शासकीय सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों के जिला कार्यालयों का सहयोग मिलेगा।

- समेकित विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन प्रक्रिया का प्रारम्भ, जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में बताये अनुसार, विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन के मुख्य पहलुओं तथा जिला योजना समिति (DPC) की भूमिका के बारे में जिला योजना समिति के सदस्यों के उन्मुखीकरण के साथ किया जायेगा।

- उसके बाद DPC के सदस्यों के लिये मूल्यांकन और दृष्टिबोध देने वाली कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मूल्यांकन में निम्नलिखित प्रकार के पहलुओं पर विचार किया जाएगा
    - आजीविकाएं और आय वृद्धि
    - प्राथमिक, माध्यमिक और कौशल निर्माण शिक्षा
    - स्वास्थ्य और पोषण
    - अधोसंरचना
    - पर्यावरण
    - महिलाएं और उनकी स्थिति
    - हाशिये के समुदाय और उनकी स्थिति
    - अन्य

  मूल्यांकन की कवायद के बाद जिला योजना समिति जिले के लिये वर्ष 2017 के लिये दृष्टि (Vision) तैयार करेगी।

सरकारी विभाग उसके लिये प्रासंगिक डेटा और मौजूदा जिला योजनाएं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास RKVY योजना, NRHM योजना, SSA योजना, MNREGS दीर्घ–कालीन योजना जैसी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

- जिले की मूल्यांकन और दृष्टि कार्यशाला के बाद जनपद पंचायत, शहरी सथानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के सदस्यों के लिये उन्मुखीकरण सत्र होंगे। ये उन्मुखीकरण सत्र 30–30 के दलों में होंगे। उन्मुखीकरण सत्र का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को नीचे लिखी बातों की जानकारी देना होगा
    - विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन
    - मूल्यांकन के विभिन्न संकेतकों की स्थिति
    - जिला दृष्टि (vision) वर्ष 2017

  निर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह किया जायेगा कि वे नियोजन प्रकिया में भाग लें और साथ ही नागरिकों को इस प्रकिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करें।

- साथ ही साथ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और सरकारी विभागों के जिला प्रमुखों के लिये उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिसमें उन्हें नीचे लिखी बातों के बारे में जानकारी दी जायेगी
    - विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन
    - मूल्यांकन के विभिन्न संकेतकों की स्थिति
    - जिला दृष्टि (vision) वर्ष 2017

- जिले के अधिकारियों के लिये उन्मुखीकरण सत्र पूरे होने के बाद DPC एक जिला नियोजन समूह (DPG) गठित करेगा। [District Planning Group (DPG) = Rural Planning Group (RPG) + Urban Planning Group (UPG)]. **RPG के संचालन में मुख्य भूमिका जिला पंचायत की रहेगी। UPG के संचालन में मुख्य भूमिका जिला शहरी विकास अभिकरण की रहेगी।**

- DPG स्थानीय चैम्बर्स आफ कामर्स, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विशाल औद्योगिक इकाइयों के साथ चर्चा का आयोजन करेगा ताकि यह समझा जा सके कि योजना तैयार किये जाने और उसके कार्यान्वयन में वे क्या भूमिका निभा सकते हैं।
- DPG के गठन के बाद,
    - वह नियोजन की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिये दो गोलमेज बैठकें आयोजित करेगा– एक स्थानीय मीडिया के लिये और दूसरा नागर समाज संगठनों के लिये
    - तकनीकी सहयोग समूह (TSG) सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिये मास्टर–प्रशिक्षक बनने के लिये चिन्हित / आमंत्रित करेगा।

- तकनीकी सहयोग समूह के गठन के लिये निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला कार्यकर्ताओं, स्नातकोत्तर छात्रों और नागर समाज संगठनों के सदस्यों को चिन्हित / आमंत्रित करेगा।
- नियोजन की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये DPC स्थानीय मीडिया को विज्ञापन देगा।

जनपद स्तर /नगरीय निकाय स्तर

- DPG ब्लाक नियोजन समूहों (BPG) का गठन करेगा।
- नियोजन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने के लिये DPG गतिविधियों की एक मोटा कैलेण्डर विकसित करेगा।
- प्रगति का आकलन करने के लिये DPG हर माह BPG के साथ संवाद करेगा। इन बैठकों के साथ, वह जिले की समग्र प्रगति के बारे में DPC को अवगत करायेगा।
- जिले के सरकारी विभाग इकाईवार (ग्राम या शहर के वार्ड) हितग्राहियों और अधोसंरचना के नियोजन की 31 मार्च 2011 की बेसलाइन तैयार करेंगे। यह 2012–17 की संदर्शी योजना की बेसलाइन होगी। वे नियोजन की उन इकाइयों की सूची की जानकारी भी देंगे जिनमें कार्यक्रम/योजना के मानकों के कारण लाभ और अधोसंरचना के लाभ लागू नहीं होते। नियोजन इकाईवार बेसलाइन BPG को प्रस्तुत की जायेगी।
- BPG चुनिन्दा TSGs को नागरिकों से संवाद के लिये और डेटा जमा करने के लिये नियोजन इकाइयां सौंपेगा। नियोजन की इकाईयों का चयन TSG के सदस्यों के द्वारा किये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी।

- ग्रामीण इलाकों में, प्रत्येक TSG को 3 ग्राम पंचायतें सौंपी जायेंगी जिनमें 10–12 ग्राम नियोजन इकाइयां रहेंगी। सौंपी गयी ग्राम पंचायतों में यदि 12 ग्राम नियोजन इकाईयों से ज्यादा हैं तो सौंपी गयी ग्राम पंचायतों की संख्या कम कर दी जायेगी, ताकि प्रत्येक TSG अधिकतम 10–12 ग्राम नियोजन इकाईयों के लिये उत्तरदायी रहे।

- शहरी इलाकों में, प्रत्येक TSG को दों वार्ड दिये जायेंगे।
- TSG की गतिविधियों के लिये BPG एक नियोजन इकाईवार कैलेण्डर विकसित करेगा। TSG को जो ग्राम/नगरीय वार्ड इकाईयां सौंपी गयी हैं उनके प्रत्येक भ्रमण में TSG नीचे लिखी गतिविधियों के लिये उत्तरदायी होगा :
  - **भ्रमण 1** : नियोजन की प्रकिया और तारीखों तथा जिला दृष्टि पर जागरूकता पैदा करना; हाशिये पर जो समुदाय हैं उनकी पहचान करना और बेसलाइन को प्रामाणिक बनाना।
  - **भ्रमण 2** : नियोजन इकाईयों में नागरिकों के विभिन्न समूहों के साथ चर्चा ताकि उनकी जरूरतों को समझा जा सके। हाशिये के समुदायों, महिलाओं, निःशक्तों, युवाओं और वृद्धों के साथ अलग से बैठकें आयोजित करना।
  - **भ्रमण 3** : नियोजन इकाई की दृष्टि निर्मित करने के लिये ग्राम/वार्ड सभा/ ULB की बैठकों की व्यवस्था करना और भ्रमण 2 के समय पहचानी गयी जरूरतों की प्राथमिकताएं सूचिबद्ध करना।
  - **भ्रमण 4** : निधियों की उपलब्धता और कार्यक्रम/योजना के मानकों का ध्यान रखते हुए DPG/BPG के द्वारा अनुमोदित इकाई योजना प्रस्तुत करने के लिये ग्राम/वार्ड सभा/ ULB बैठक की व्यवस्था करना। योजना को ग्राम/वार्ड सभा/ ULB के द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
  - **भ्रमण 5** : ग्राम/वार्ड सभा/ ULB को DPC के द्वारा अनुमोदित नियोजन इकाई योजना की प्रतिलिपि का प्रावधान

यह कैलेण्डर तैयार करते समय, BPG नागरिकों की आजीविका संबंधी सरोकारों का ख्याल रखेगा। इसी प्रकार, TSG के सदस्यों को उनके भ्रमण के लिये ऐसा समय प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करनाा चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके।

चित्र : भ्रमण–वार TSG गतिविधि कार्यक्रम

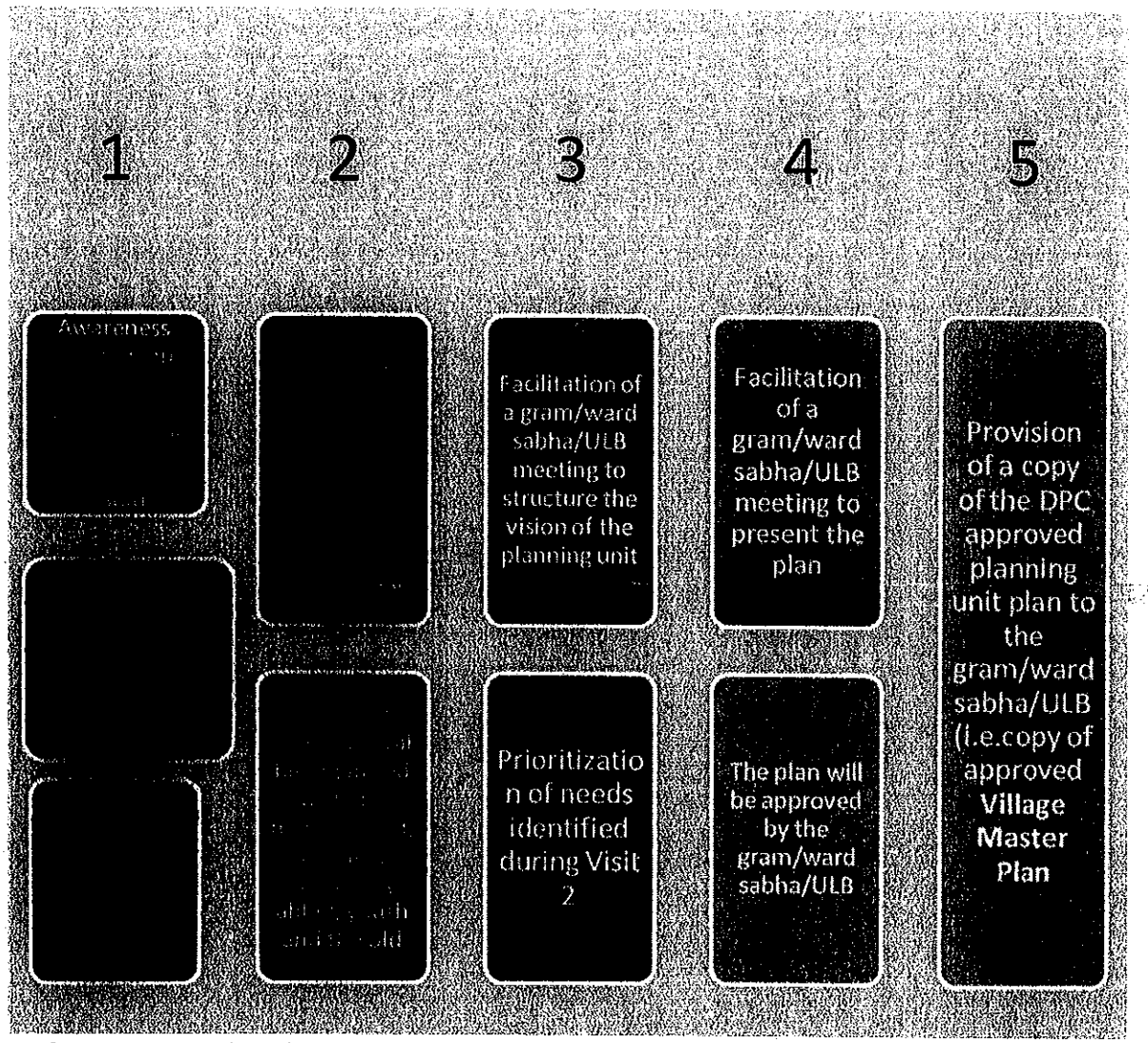

- जिला मास्टर प्रशिक्षणों की क्षमता का निर्माण करने के बाद, TSG के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या 30-40 तक रहेगी। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में, प्रत्येक भ्रमण के लिये सौंपी गयी नियोजन इकाईवार बेसलाइन पत्रक और डेटा जमा पत्रक TSG के सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी।

- साथ ही साथ, BPG के द्वारा प्रत्येक नियोजन इकाई के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये सूचना सत्र आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक सूचना सत्र में 30 प्रतिभागी तक रहेंगे। इस सत्र के दौरान, नीचे लिखी जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी :
  - प्रकिया का ढांचा
  - TSG कैलेण्डर

- TSG के सदस्यों का सम्पर्क विवरण

निर्वाचित सदस्यों से आग्रह किया जायेगा कि वे नियोजन की प्रक्रिया के दौरान वे नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

- TSG के सदस्य, BPG के द्वारा विकसित कैलेण्डर के अनुसार नियोजन–इकाईयों का भ्रमण करेंगे। किसी परिवर्तन की स्थिति में, नियोजन इकाई के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ तिथि के बारे में चर्चा की जायेगी और उसकी घोषणा की जायेगी।
- प्रत्येक भ्रमण के अन्त में TSG सदस्य BPG को पूरा किये हुए प्रतिमान (templates) प्रस्तुत करेंगे। BPG सहयोग दल ब्लाक और जिला स्तर के लिये इनका मिलान करेगा। वे भ्रमण 2 के समय उभरे निवेदनों की मानकों और स्रोतों के प्रकाश में समीक्षा करेंगे और सरकारी विभागों के द्वारा समीक्षा किये जाने के लिये नियोजन इकाईवार पत्रक विकसित करेंगे।
- सरकारी विभाग मानकों और तकनीकी संभाव्यता की दृष्टि से BPG सहयोग दल के द्वारा प्रस्तुत नियोजन इकाई पत्रक की समीक्षा करेंगे। वे ऐसी सेवाओं और सुविधाओं का सुझाव भी देंगे जो नियोजन इकाईयों के समूह (जैसे, जलप्रदाय योजना) के लिये एकत्र की जा सकती हैं। सरकारी विभाग BPG को तकनीकी रूप से अनुमोदित नियोजन इकाईवार पत्रक प्रस्तुत करेंगे।
- नियोजन इकाईवार पत्रकों का अनुमोदन करने के लिये BPG की बैठक होगी। अनुमोदित पत्रकों को TSG सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि भ्रमण 3 और 4 में उनकी गतिविधियों में आसानी हो।
- ग्राम/वार्ड सभा/ ULB द्वारा अनुमोदित योजनाओं की प्राप्ति स्वीकृति को डाक से भेजना, किसी भी बदलाव की समीक्षा की जायेगी और उसका समाधान किया जायेगा। BPG सहयोग दल के द्वारा ब्लाक की एक योजना बनायी जायेगी जो अनुमोदन के लिये DPG को प्रस्तुत की जायेगी। इन योजनाओं के साथ ग्राम/वार्ड सभा/ ULB (जो संवैधानिक रूप से अनुमोदन करने वाली निकाय हैं) की कार्यवाही की एक प्रति संलग्न रहेगी।
- DPG ब्लाक की योजनाओं की समीक्षा करेगा।
- DPC नतीजा समितियां गठित करेगा, जिनमें DPC/ZP उप समितियों के सदस्य और कनवर्जेन्स वाले सरकारी विभागों के जिला प्रमुख होंगे।

- DPC नतीजा समितियों के साथ ब्लाक की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद नतीजा समितियों में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए जिला संदर्शी योजना और वार्षिक योजना 2012–13 का प्रारूप तैयार होगा।
- DPG जिला संदर्शी योजनाओं को स्थानीय चेम्बर आफ कामर्स, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बड़ी औद्योगिक इकाइयों के साथ साझा करेगा ताकि यह समझा जा सके कि वे योजना के कार्यान्वयन में क्या भूमिका निभाना चाहेंगे।
- DPG, DPC को जिला संदर्शी योजना और वार्षिक योजना प्रस्तुत करेगा। DPC योजना पर टिप्पणी करेगा। DPG इन टिप्पणियों को शामिल करेगा और पुनरीक्षित योजना को DPC को प्रस्तुत करेगा।
- DPC योजना को अनुमोदित करेगी और उसे अनुमोदन के लिये राज्य योजना आयोग को भेज देगी।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत समेकित जिला योजना तैयार किये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार गाईड्लाइन के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2012–13 की योजना तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी होगी :–

विकेन्द्रीकृत नियोजन वर्ष 2012–13 हेतु कार्यक्रम एवं समय सारणी

1	• DPC के सदस्यों का उन्मुखीकरण	June 2011
2	• जिला मूल्यांकन एवं दृष्टि कार्यशाला	June 2011
3	• जिला स्तरीय नियोजन दल का गठन • जिला योजना समिति के अध्याधीन 6 सेक्टरों (तालिका–1) में नियोजन के लिये उप समितियों का गठन करना।	Upto June 15, 2011
4	• जिले के लिये गतिविधियों का कैलेण्डर तैयार करना	Upto June 18, 2010
5	• जनपद स्तरीय/नगरीय निकाय नियोजन दलों का गठन	Upto June 20, 2011
6	• ग्राम पंचायत स्तरीय एवं नगरीय वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दलों (TSG) का गठन (2 से 3 ग्राम	Upto June 25, 2011

	पंचायतों/नगरीय वार्ड पर (TSG)	
7	• जिला स्तर पर प्रशिक्षण (चिन्हित जिला, ब्लॉक एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों का Master Trainers के रूप में)	Upto June 30, 2011
8	• जनपद/नगरीय निकाय स्तर पर TSG का प्रशिक्षण	Upto July10, 2011
9	• नियोजन की प्रकिया पर नियमित स्थानीय विज्ञापन	June-Sept, 2011
10	• जिला/ जनपद पंचायत, शहरी सथानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों/सदस्यों के लिये उन्मुखीकरण सत्र	June – July 2011
11	• नियोजन इकाईवार TSG भ्रमण कैलेण्डर तैयार करना	Upto July10, 2011
12	• ग्राम स्तर, मोहल्ला/वार्ड स्तर पर नियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ करना एवं ग्राम सभा/वार्ड सभा में **प्रस्तावित योजना**/कार्यों का अनुमोदन	July11-Aug11, 2011
13	• ग्राम पंचायत पर ग्राम योजनाओं का समेकन	Aug 12-20, 2010
14	• ग्राम/वार्ड सभा/ ULB की अनुमोदित योजनाओं की समीक्षा और ब्लाक योजना तैयार करना	Aug 21-31, 2011
15	• जनपद स्तर पर एवं नगरीय निकाय स्तर पर डाटा प्रविष्टि, समेकन, प्रस्तावित कार्यों का विश्लेषण, विभागवार रिस्पोंस प्लान **(Response Plan)** बनाना एवं जिला स्तर पर समेकन हेतु भेजा जाना	Sept1-14, 2011
16	• जिले के जन–मीडिया और नागर समाज संगठनों के साथ जिले की योजना के प्रारूप को साझा करना ताकि उनकी राय मिल सके	Sept 2011
17	• स्थानीय चेम्बर आफ कामर्स, बड़े औद्योगिक इकाईयों के साथ जिले की योजना के प्रारूप को साझा करना ताकि उनकी राय मिल सके	Sept 2011
18	जिला योजना समिति ग्रामीण एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को समेकित कर एवं समस्त विभागों के Response Plans का विश्लेषण कर जिला योजना को अंतिम रूप देना एवं राज्य योजना आयोग को प्रस्ताव भेजना	Sept15-30, 2011
19	• राज्य योजना आयोग में जिलों के साथ चर्चा प्रारम्भ	**Oct 1, 2011 onwards**

वित्तीय दिशा–निर्देश:- वित्तीय दिशा–निर्देश हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के पत्र देंखे । विकेन्द्रीकृत योजना सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू.बीस लाख प्रति जिले का प्रावधान जिला योजना में किया गया है।

दिशा–निर्देश	विवरण
ग्रामीण एवं नगरीय निकाय के लिये जिला स्तरीय Master Trainers' प्रशिक्षण/कार्यशाला	प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन ठहरना – 250रू. तक प्रति प्रतिभागी भोजन एक समय – 75रू. तक स्टेशनरी – प्रति प्रतिभागी 50रू. तक प्रशिक्षण स्थल पर अन्य व्यवस्था करने के लिये आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।
जनपद स्तर पर तकनीकी सहायता दलों (Technical Support Group-TSG) एवं पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण	प्रति प्रतिभागी भोजन एक समय – 50रू. तक स्टेशनरी – प्रति प्रतिभागी 50रू. तक प्रशिक्षण में स्थानीय अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि ही भाग लेंगे। अतः ठहरने पर व्यय का प्रावधान नहीं होगा। प्रशिक्षण स्थल पर अन्य व्यवस्था करने के लिये आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।
प्रति ग्रामीण TSG (ग्राम स्तरीय प्रकिया संचालन के लिये व्यय)	2000 रू.
प्रति नगरीय TSG (नगरीय वार्ड स्तरीय प्रकिया संचालन के लिये व्यय)	500 रू.
डाटा एन्ट्री एवं समेकन कार्य हेतु सेवायें	आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।
वातावरण निर्माण/रेडियो वार्ता/विज्ञापन/पम्पलेट आदि	आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है।

इस प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जिला कलेक्टरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपने मार्गदर्शन में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तर/नगरीयय वार्ड आदि नियोजन इकाईयों से योजनायें तैयार कराकर विभिन्न स्तरों पर समेकित करते हुए "समेकित जिला योजना" प्रारूप तैयार करेंगे और निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के उपरान्त राज्य योजना आयोग को प्रेषित करेंगे।

.....